न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–57 सन् 2021

बच्ची देवी ––––––वादी

बनाम

मनीष कुमार सिंह वो0–प्रतिवादीगण

दिनांकः–

29.10.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–19.06.2021 अन्दर आदेश–22 नियम–4 वो दफा 151 सी0पी0सी0 पर प्रत्युतर दिनांक–29.10.2021 सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन मे सार रूप मे कहा है कि मुदई ने यह मुकदमा तकरारी एराजी पर अपना हकियत वा कब्जा घोषित करने वो अन्य पारितोष हेतु दाखिल किया हैं। मुकदमा के दरम्यान मुदालह सं0–2 अजीत कुमार सिंह दिनांक–20.04.2021 को अपनी पत्नी निलम देवी वो एक पुत्र अनीश कुमार वो दो पुत्रियां अर्चना देवी वो अंशु कुमारी को छोड़कर वफात कर गये। न्यायहीत मे अजीत कुमार सिंह का नाम कलमजद होना वो उनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध होना जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदालह सं02 का नाम कलमजद करते हुए उनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाएं।

प्रतिवादी की ओर अपने प्रत्युतर मे कहा गया है कि मुदई द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–17.06.2021/19.06.2021 मे मुदालह सं–2 अजीत कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी है। वह सही है। वो थोड़ा विलम्ब से दाखिल किया

गया है। अतः निवेदन है कि मुदई द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–17.06.2021 / 19.06.2021 को साथ खर्चा खारिज किया जाए।

उभयपक्षों का सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समयसीमा के अंदर है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–19.06.2021 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से 14 दिनों के अंदर अपने आवेदन के आलोम मे मरम्मत कर लें। वाद दिनांक–22.11.2021 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।